रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 18, 1988/ज्येष्ठ 28, 1910
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 18, 1988/JYAISTHA 28, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than Defence)

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 1 जून, 1988

सा.का.नि. 475. केन्द्रीय सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम 1969 के नियम 24 के अनुसरण में, भूतपूर्व कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा श्रेणी (घ) (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा श्रेणी (घ) (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) संशोधन विनियम 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा श्रेणी (घ) (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम 1973 में,

(1) उद्देशिका में "कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे।

(2) विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

(ग) "भूतपूर्व सैनिक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने संघ की नौसेना, सेना और वायुसेना में किसी रैंक में चाहे योधक या अयोधक सेवा की है (किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, साधारण रिजर्व इंजीनियरी बल, लोक सहायक सेना, और अर्धसैनिक बलों में सेवा की है), और

(i) जो ऐसी सेवा से अपनी पेंशन उपार्जित करने के पश्चात सेवा निवृत्त हो गया है; या

(ii) जो ऐसा सेवा के परिणामस्वरूप अपने नियंत्रण के बाहर चिकित्सीय आधार पर सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य निःशक्तता पेंशन प्रदान की गई है; या

(iii) जो ऐसी सेवा से अपनी स्वयं की प्रार्थना पर से अन्यथा स्थापन में कमी करने के परिणामस्वरूप निर्मुक्त कर दिया गया है; या

(iv) जो ऐसी सेवा से स्वयं की प्रार्थना पर या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण सेवोन्मोचित या पदच्युत किए जाने से भिन्न

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1988

सा.का.नि. 494 :- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा डाक विभाग (आशुलिपिक ग्रेड 'घ') भर्ती नियम, 1986 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :--

(1) ये नियम डाक विभाग (आशुलिपिक ग्रेड घ") भर्ती संशोधन नियम 1988 कहे जायेंगे।

(2) य सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. डाक विभाग (आशुलिपिक ग्रेड 'घ') भर्ती नियम, 1986 की अनुसूची में कालम-11 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात :--

"50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत निम्नलिखित स्थाई अथवा स्थाईवत कर्मचारियों में से विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा (क) सर्किल कार्यालयों, प्रशासनिक कार्यालयों, बचत बैंक नियंत्रण संगठन आंतरिक जांच संगठन, केन्द्रीय पेयरिंग यूनिट के अवर श्रेणी लिपिक, और (ख) डाक सहायक, छटाई सहायक, समयपान लिपिक, जोकि सीधी भर्ती के लिए कालम-8 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अन्य योग्यता रखते हों, इसमें असफल रहने पर सीधी भर्ती द्वारा।

[सं. 49-7/86-एस.पी.बी.-1]
एस.वी. शेषागिरि राव, सहायक महानिदेशक (एस.पी.एन.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Post)

New Delhi, the 25th May, 1988

G.S.R. 494.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Posts (Stenographer Grade 'D') Recruitment Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Department of Posts (Stenographers Grade 'D') Recruitment (Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Posts (Stenographers Grade 'D') Recruitment Rules, 1986, for the entry under column 11, the following entry shall be substituted namely :—

"50 per cent by direct recruitment and 50 per cent by departmental competitive examination from amongst permanent or quasipermanent—

(a) Lower Division Clerks in the Circle Offices, Administrative Offices, Saving Bank Control Organisation, Internal Check Organisation, Central Pairing Unit, and

(b) Postal Assistants, Sorting Assistants, Time Scale Clerks;

who possess the educational and other qualification laid down for direct recruits in column 8, failing which by direct recruitment".

[No. 49-7|86-SPB-I]
S. V. SESHAGIRI RAO, Asstt. Director General (SPN)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मई, 1988

सा.का.नि. 495.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में, क्रम सं 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
64. प्रधानलिपिक/ लेखाकार ज्येष्ठभंडारी	249* (1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित	1400-40-1800-द.रो. 50-2300 रुपए	अचयन	नही	18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पण (1) : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। टिप्पण (2) : विभागीय अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री	नहीं	2 वर्ष

टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
(1) 20 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (2) 80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : 1200-30-1560-द.रो.-40-2040 रुपए के वेतनमान में ऐसे लिपिक श्रेणी-1 भंडारी, आकाशवाणी । दूरदर्शन में स्टाफ कलाकार के भूतपूर्व प्रवर्ग, अर्थात् सामान्य सहायक (नकल नवीस) टेप पुस्तकालय अध्यक्ष (चयन श्रेणी) में से और 1200-30-1440-द.रो. 30-1800 और 1200-30-1560-द.रो.-40-2040 रुपए वेतनमान में केयरटेकर और 1200-30-1560-द.रो.-40-2040 रुपए और 1350-30-1440- -40-1800-द.रो.-50-2200 रुपए वेतनमान में आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में कार्य कर रहे कनिष्ठ स्वागत अधिकारी में से, जिन्होंने नियमित आधार पर 5 वर्ष सेवा की है । टिप्पण : सीधी भर्ती के आधार पर 20 प्रतिशत भर्ती के लिए उपबन्ध केवल तभी प्रवृत्त होंगे जब प्रधान लिपिक/लेखाकार/ज्येष्ठ भंडारी के पद पर नियुक्ति करने के लिए ली गई सीमित विभागीय परीक्षा में अर्हित अभ्यर्थियों के पैनल में का अंतिम अभ्यर्थी, विशिष्ट जोन में पद के लिए आमेलित कर लिया गया है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) (1) आंचलिक केन्द्र का प्रधान --अध्यक्ष (यदि आंचलिक केन्द्रों के प्रधान इंजीनियरिंग प्रधान की अपेक्षा निम्नतर वेतनमान में हों तब इंजीनियरिंग प्रधान अध्यक्ष होगा) (2) ज्येष्ठतम इंजीनियर --सदस्य (3) यथास्थिति, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी -सदस्य (4) जोन में दूरदर्शन केन्द्र का उप निदेशक, प्रशासन--सदस्य यदि कोई ऐसा केन्द्र विद्यमान है ।	लागू नहीं होता

टिप्पण : 1. नीचे यथा उपदर्शित, राज्य या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समूह में अवस्थित आकाशवाणी डी डी के केन्द्रों और कार्यालयों में कार्य कर रहे लिपिक श्रेणी-1 भंडारी / स्वागत अधिकारी/कनिष्ठ/ केयरटेकर की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची रखी जाएगी और उक्त सूची के आधार पर राज्य या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समूह के भीतर प्रोन्नतियां और स्थानान्तरण किए जाएंगे ।

(ii) राज्य/राज्यों समूह और आंचलिक कार्यालय का प्रधान

1. असम, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय	एस. डी. आकाशवाणी, गोहाटी
2. आंध्र प्रदेश	एस. डी. आकाशवाणी, हैदराबाद
3. बिहार	एस. डी. आकाशवाणी, पटना
4. दिल्ली	एस. डी. आकाशवाणी दिल्ली
5. गुजरात	एस. डी. आकाशवाणी अहमदाबाद
6. केरल	एस. डी. आकाशवाणी त्रिवेन्द्रम
7. तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंदमान और निकोबारद्वीप, लक्षद्वीप	एस. डी आकाशवाणी, मद्रास
8. कर्नाटक	एस. डी. आकाशवाणी, बंगलौर
9. महाराष्ट्र, गोवा, दादर-नागर हवेली	एस. डी. आकाशवाणी, मुंबई
10. मध्य प्रदेश	एस. डी. आकाशवाणी, भोपाल
11. उड़ीसा	एस. डी. आकाशवाणी, कटक

12. पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़, संघ राज्यक्षेत्र	एस. डी. आकाशवाणी, जलंधर
13. राजस्थान	एस. डी. आकाशवाणी, जयपुर
14. उत्तर प्रदेश	एस. डी. आकाशवाणी, लखनऊ
15. पश्चिमी बंगाल, सिक्किम	एस. डी. आकाशवाणी, कलकत्ता

(iii) ऐसे स्टाफ कलाकारों के संबंध में जो सरकारी सेवक के रूप में संपरिवर्तित हो गए हैं, निम्नलिखित अनुदेश लागू होंगे :

1. सरकारी सेवक बन जाने के पश्चात् स्टाफ कलाकार वर्तमान को तरह पृथक वर्ग के रूप में बने रहेंगे। सिविल पद धारण करने वाले स्टाफ कलाकारों नियमित काडर के साथ विलयन, काडर में अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के समय होगा ।

(2) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए दो पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूचियां होंगी अर्थात् :

(i) टिप्पण (1) में वर्णित विद्यमान नियमित प्रवर्ग का, और

(ii) ऐसे स्टाफ कलाकारों को जो उसी वेतनमान में पद धारण किए हुए हैं जिसमें वर्ग (1) के कर्मचारी हैं ।

(3) दोनों ज्येष्ठता सूचियों में से अगली श्रेणी में प्रोन्नति कोटा के आधार पर होगी, जिसके अनुपात का अवधारण ऐसे प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों की संख्या के आधार पर किया जाएगा ।

(4) विभिन्न प्रवर्गों के अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण नियमित आधार पर उस श्रेणी में पद कार्यभार ग्रहण करने के आधार पर होगा । जो व्यक्ति कार्यभार पहले ग्रहण करेगा वह उस व्यक्ति के ज्येष्ठ होगा जिसने बाद में कार्यभार ग्रहण किया है।

टिप्पण : मूल नियम जिनका संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग") भर्ती नियम, 1964 है, सा.का.नि. सं., 1776 तारीख 31-11-1964 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और उनके पश्चात्वर्ती निम्नलिखित द्वारा अधिसूचित किए गए हैं :--

1. अधिसूचना सं. 11/5/64-बी (ए), तारीख 9-8-1965
2. अधिसूचना सं. 5/2/87-बी (ए), तारीख 5-2-67
3. अधिसूचना सं. 7/2/68-बी (ए), तारीख 24-2-70
4. अधिसूचना सं. 7/8/66-बी (ए), तारीख 31-1-1970
5. अधिसूचना सं. 20/8/67-बी (ए), तारीख 4-2-1970
6. अधिसूचना सं. 16/20/67-बी (ए), तारीख 30-3-1970
7. अधिसूचना सं. 1/7/70-बी (ए), तारीख 18-3-1971
8. अधिसूचना सं. 1/8/71-बी (ए), तारीख 29-1-1972
9. अधिसूचना सं. 1/8/71-बी (ए), तारीख 2-2-1972
10. अधिसूचना सं. 1/11/71-बी (ए), तारीख 5-5-1972
11. अधिसूचना सं. 1/4/72-बी (ए), तारीख 16-6-1972
12. अधिसूचना सं. 1/7/71-बी (ए), तारीख 14-11-72
13. अधिसूचना सं. 1/6/73-बी (ए), तारीख 23-5-1973
14. अधिसूचना सं. 1/11/73-बी (ए), तारीख 29-6-1973
15. अधिसूचना सं. 1/5/73-बी (ए), तारीख 20-8-1973
16. अधिसूचना सं. 1/7/70-बी (ए), तारीख 15-5-1974
17. अधिसूचना सं. 1/7/70-बी (ए), तारीख 2-8-1974
18. अधिसूचना सं. 1/3/74-बी (ए), तारीख 21-5-1976
19. अधिसूचना सं. 12019/10/79-बी (ए), तारीख 26-12-78
20. अधिसूचना सं. 12019/1/78-बी (ए), तारीख 17-12-1980
21. अधिसूचना सं. 12019/8/80-बी (ए), तारीख 27-9-1981
22. अधिसूचना सं. 12019/4/81-बी (ए), तारीख 17-5-1982
23. अधिसूचना सं. 12019-4-81 तारीख 11-4-1983
24. अधिसूचना सं. 45011/33/82-बी (ए), तारीख 19-9-1983
25. अधिसूचना सं. 7/19/83-ए. आर. बी. (ए), तारीख 3-7-1984
26. अधिसूचना सं. 3/25/83 सी. आर. सीआर. /एस. 11/ए. आई. आर. /बी. (ए), तारीख 2-6-1987
27. अधिसूचना सं. 7/5/86ए. आर. /ए. आई. आर. /बी. (ए) तारीख 19-9-1987
28. अधिसूचना सं. 7/5/86ए. आर. /बी. (ए.) तारीख 10-11-1987
29. अधिसूचना सं. 8/36/87-एम. I1/बी. ए. तारीख 30-12-1987
30. अधिसूचना सं. 14/19/86-एस 11/एस तारीख 27-4-88

[सं. 2/7/83-सी. आर. सी. आर. /एस-11-एस VIII /आकाशवाणी/बी (ए)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi the 23rd May, 1988

G.S.R 495.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules 1964 namely :—

1. (1) These rules may be called the All India *Radio (Group 'C' Posts)* Recruitment (Second Amendment) Rules 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules 1964 for serial number 64 and the entries relating thereto the following shall be inserted namely -

SCHEDULE

Name of post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension Rules, 1972.)
1	2	3	4	5	6
"64. Head Clerk/ Accountant/Senior Storekeeper	249* (1988) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300.	Non-selection	No.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.
Between 18 and 25 years. Note (1). The crucial date for determining the age limit shall be closing date for receipt of applications from India; (Other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note (2) Upper age limit relaxable upto 35 years for departmental candidates.	Degree from a recognised University. Note No. 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.	No	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.
11	12
(i) 20 % by direct recruitment. (ii) 80 % by promotion. Note : The provision for 20 % recruitment on direct basis will be operative only after the last candidate on the panel of qualified candidates by the limited departmental examination for appointment to the post of Head Clerk/Accountant/Senior Storekeeper has been absorbed in the post in the particular zone.	Promotion Forom amongst Clerk Grade I/Storekeeper the erstwhile categories of Staff Artists in All India Radio/Doordarshan Kendra namely General Assistant/Copyist/Tape Librarian (Selection Grade) in the pay scale of Rs. 1200-30-1860-EB-40-2040 Caretaker in the pay scale of Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800 and Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040 and Junior Reception Officers in the pay scale of Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040 and in the pay scale of Rs. 1350-30-1440-40-1800-EB-50-2200, both working at All India Radio Stations and at the Directorate with 5 years service on regular basis.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) (1) Head of Zonal Station (In case the Heads of Zonal Stations is in a lower Pay Scale than the Engineering Head the Engineering Head will be the Chriaman). —Chairman (2) Senior most Engineer —Member (3) Senior Administrative Officer/Administrative Officer, as the case may be —Member (4) Deputy Director Administration of Doordarshan Kendra in the zone in case such a Kendra exists. —Member	Not applicable.

NOTES :

(i) Common Seniority lists will be maintained for Clerk Grade-I/Storekeepers/Reception Officer (Junior)/Caretakers working in All India Radio/Doordarshan Kendra Stations and Offices located in a State or a Group of States and Union Territories as indicated below and promotions and transfers shall be made within a state or group of states and Union Territories on the basis of the said list.

(ii) State/Group of States and Head of Zonal Office

1. Assam, Nagaland, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya. — Station Director, All India Radio, Guwahati.
2. Andhra Pradesh — Station Director, All India Radio, Hyderabad.
3. Bihar — Station Director, All India Radio, Patna.
4. Delhi. — Station Director, All India Radio, Delhi.
5. Gujarat — Station Director, All India Radio, Ahmedabad
6. Kerala — Station Director, All India Radio, Trivandrum.
7. Tamilnadu, Pondicherry, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep. — Station Director, All India Radio, Madras.
8. Karnataka — Station Director, All India Radio, Bangalore.
9. Maharashtra, Goa, Dadar-Nagar Haveli — Station Director, All India Radio, Bombay.
10. Madhya Pradesh — Station Director, All India Radio, Bhopal.
11. Orissa — Station Director, All India Radio, Cuttack.
12. Punjab, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Haryana & Union Territory of Chandigarh. — Station Director, All India Radio, Jalandhar.
13. Rajasthan — Station Director, All India Radio, Jaipur.
14. Uttar Pradesh — Station Director, All India Radio, Lucknow.
15. West Bengal, Sikkim ... Station Director, All India Radio, Calcutta.

(iii) In respect of Staff Artists converted as Government servants the following instructions will apply :—

(1) After becoming Government servants, the Staff Artists will continue as separate category as at present. The merger of Staff Artists holding civil posts with regular cadre will be achieved at the time of promotion to the next higher grade in the cadre.

(2) For the purpose of promotion there will be two separate Seniority lists i.e., (i) of existing regular categories mentioned as at note (i); and (ii) such staff artists holding the posts in the same pay scale as employees in Category (i).

(3) The promotion to next grade from the two seniority lists will be on a quota basis the ratio of wich will be determined on the basis of existing number of posts in each of these categories.

(4) The inter-se-seniority of officers from various categories will be determined on the basis of joining the post in that grade on regular basis. The one who joined earlier will be senior to another who joins later.

Note : Principal Rules called the All India Radio (Group 'C') Recruitment Rules, 1964, were notified vide G.S.R. No. 1776 dated 30-11-1964 and subsequently the following amendments havve been notified :

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9-8-1965
2. ,, No. 5/2/67-B(A), dated 2 -3-1967
3. ,, No. 7/2/68-B(A), dated 14-6-1968
4. ,, No. 7/8/66-B(A), dated 31-1-1970
5. ,, No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970
6. ,, No. 16/20/69-B(A), dated 30-3-1970
7. ,, No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-8971
8. ,, No. 1/8/71-B(A), dated 29-1-1972
9. ,, No. 1/8/71-B(I), dated 2-2-1972
10. ,, No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972
11. ,, No. 1/4/72-B(A), dated 16-6-1972
12. ,, No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972
13. ,, No. 1/6/73-B(A), dated 21-5-1973
14. ,, No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973
15. ,, No. 1/5/73-B(A), dated 20-8-1973
16. ,, No. 1/7/70-B(A) dated 15-5-1974
17. ,, No. 1/7/1970-B(A), dated 8-8-1974
18. ,, No. 1/3/1974-B(A), dated 21-5-1976
19. ,, No. 12019/10/79-B(A), dated 26-12-1978
20. ,, No. 12019/1/78-B(A), dated 17-12-1980
21. ,, No. 12019/8/80-B(A), dated 27-4-1981
22. ,, No. 12019/8/81-B(A), dated 17-5-1982
23. ,, No. 12019/4/81-B(A), dated 11-4-1983
24. ,, No. 45011/33/82-B(A), dated 19-9-1983
25. ,, No. 7/19/83-AR/B(A), dated 3-7-1984
26. ,, No. 3/25/83-CRCR/S.II/AIR/B(A), dt. 2-6-1987
27. ,, No. 7/5/86-AR/AIR/B(A), dated 10-9-87
28. ,, No. 7/13/86-AR(B)(A), dt. 10-11-1987
29. ,, No. 8/36/87-SII/B(A), dated 30-12-1987
30. ,, No. 14/19/86-S.II/S.VI/B(A), dated 27-4-1988.

[No. 2/7/83-CRCR/S.II/S.VIII/B(A)]

नई दिल्ली, 25 मई, 1988

सा.का.नि. 496—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती (तीसरा संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में प्रशासनिक अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
"18. प्रशासनिक अधिकारी	73* (1988)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित,	2000-60-2300-द.रो.-75-3200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता